



**The Jharkhand Prohibition of Smoking and Non-Smokers Health Protection
Act, 2002**

Act 3 of 2003

Keyword(s):

Public Service Vehicle, Advertisement, Smoking, Places of Public Work

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



झारखण्ड सरकार



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 94

13 फाल्गुन, 1924 शकाब्द
राँची, मंगलवार 4 मार्च, 2003

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

4 मार्च, 2003.

संख्या-एल०जी०-12/2002-06/लेज०--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 27 फरवरी, 2003 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

झारखण्ड धूम्रपान निषेध एवं धूम्रपान रहितों की स्वास्थ्य सुरक्षा अधिनियम, 2002

[झारखण्ड अधिनियम, 03, 2003]

झारखण्ड राज्य लोक कार्य स्थलों एवं लोक वाहनों में धूम्रपान निषेध एवं इससे सम्बद्ध व्यवस्थाओं के निमित्त अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में झारखण्ड विधान-सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हों:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ--**

(क) यह अधिनियम, झारखण्ड धूम्रपान निषेध एवं धूम्रपान रहितों की स्वास्थ्य सुरक्षा अधिनियम, 2002 कहलायेगा ।

(ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(ग) यह राज्य सरकार के द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा नियत तिथि से प्रवृत्त होगा ।

(घ) परन्तु इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के निमित्त विभिन्न तिथियाँ नियत की जा सकेंगी तथा ऐसे किसी उपबन्धों में अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि, संबंधित उपबन्धों के प्रभावी होने की तिथि से संदर्भित होगी ।

2. परिभाषाएँ

इस अधिनियम में जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों :-

(क) 'विज्ञापन' से अभिप्रेत एवं इसमें सम्मिलित है, कोई सूचना परिपत्र, वाल पेपर, पम्पलेट, विज्ञापन पट्ट पर प्रस्तुतीकरण अथवा प्रकाश, ध्वनि, धुआँ, गैस या किसी दूसरे माध्यम से धूम्रपान के प्रभावों का द्रष्टव्य, परिदर्शन जिसका प्रभाव धूम्रपान अभिवृद्धि करना हो तथा पद 'विज्ञापन' का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा ।

(ख) प्राधिकृत पदाधिकारी से अभिप्रेत है, अनुच्छेद-4 के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्ति ।

(ग) राज्य से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य ।

(घ) सरकार से अभिप्रेत है, झारखण्ड सरकार ।

(च) लोक कार्य स्थल या उपयोग से अभिप्रेत है, अनुच्छेद-3 के अंतर्गत घोषित स्थान, जिसमें प्रेक्षागृह, अस्पताल भवन, स्वास्थ्य संस्थान, मनोरंजन गृह, लोक कार्यालय, न्यायिक भवन, शैक्षणिक संस्थान, पुस्तकालय, परन्तु इसमें कोई खुला स्थान शामिल नहीं है ।

(छ) 'लोक वाहन' से अभिप्रेत है मोटर यान अधिनियम--1988 के अनुच्छेद-2 के उपबंध-35 के अंतर्गत परिभाषित वाहन एवं

(ज) 'धूम्रपान' से अभिप्रेत है तम्बाकू का किसी रूप से सेवन चाहे वह सिगरेट, सिगार, बीड़ी या पाईप और रैपर अथवा किसी दूसरे उपकरण से व्यवहृत हो ।

3. धूम्रपान रहित स्थल लोक कार्य स्थल की उद्घोषणा

इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद जितनी जल्दी हो सके तथा इसके बाद समय-समय पर राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचित कर इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ किसी स्थान को लोक कार्य-स्थल या धूम्रपान रहित स्थान के रूप में घोषित कर सकती है ।

4. इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत घोषित करने के लिए सरकार की शक्ति

(क) सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा एक या एक से अधिक व्यक्तियों को इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है जो इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने हेतु सक्षम होंगे ।

(ख) यथा उप अनुच्छेद-1 के अंतर्गत प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1850 के अनुच्छेद-1 के प्रयोजनार्थ लोक सेवक होंगे ।

5. लोक कार्य स्थलों पर धूम्रपान की निषिद्धता

कोई व्यक्ति लोक कार्य-स्थल पर धूम्रपान नहीं करेंगे ।

6. लोक वाहनों में धूम्रपान की निषिद्धता

मोटर वाहन अधिनियम-1988 के प्रावधानों के अंतर्गत पूर्वाग्रहों के बिना कोई व्यक्ति लोक वाहनों में धूम्रपान नहीं करेंगे ।

7. सिगरेट आदि के विज्ञापन पर प्रतिबन्ध

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के होते हुए भी कोई व्यक्ति किसी भी स्थान अथवा लोक वाहनों में कोई भी ऐसा विज्ञापन नहीं करेंगे, जिससे धूम्रपान को प्रोत्साहन मिलता हो अथवा सिगरेट, बीड़ी आदि के विक्रय को प्रोत्साहन मिलता हो ।

8. लोक कार्य, लोकोपयोगी स्थलों में सिगरेट के विक्रय, वितरण एवं सिगरेट विक्रय के लिए भंडारण की निषिद्धता

कोई भी व्यक्ति स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लोक कार्यस्थलों/लोकोपयोगी स्थानों में सिगरेट, बीड़ी अथवा धूम्रपान की चीजों का न तो विक्रय करेगा और न वितरण या सिगरेट बिक्री के लिए भंडारण करेगा ।

9. बोर्ड पर संप्रदर्शन एवं प्रदर्शन

प्रत्येक लोक कार्य-स्थलों/लोकोपयोगी स्थानों का स्वामी अथवा प्रबन्धक अथवा इनके प्रभारी ऐसे स्थानों के अन्दर या बाहर धूम्रपान के लिए सहज दृश्य स्थानों पर जिसका उपयोग या व्यवहार जनता के द्वारा किया जाता हो, सूचना पट्ट के द्वारा यह चेतावनी प्रदर्शित करेंगे कि ये क्षेत्र धूम्रपान निषेध परिक्षेत्र है, तथा धूम्रपान दण्डनीय अपराध है ।

10. शक्तियाँ

(क) कोई व्यक्ति जो उपबन्धों का उल्लंघन करता है -धारा-5, 6 एवं 9 के लिए जुर्माना से जो, एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा, और द्वितीय या पश्चातवर्ती उपबन्ध की स्थिति में कम-से-कम दो सौ रुपये जुर्माना से दण्डनीय होगा, परन्तु वह पाँच सौ रुपये तक हो सकेगा ।

(ख) धारा-7 या 8 के लिए अर्थदण्ड से दण्डनीय, जो पाँच सौ रुपये तक होगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध की स्थिति में कारावास से, जो तीन माह तक हो सकेगा, या न्यूनतम पाँच सौ रुपये अर्थदण्ड, परन्तु जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा ।

11. लोक कार्य या लोकोपयोगी स्थल से इस अधिनियम के उल्लंघनकर्ता का निष्कासन--कोई प्राधिकृत पदाधिकारी अथवा कोई कार्यपालक दण्डाधिकारी अथवा कोई आरक्षी पदाधिकारी, जो अवर निरीक्षक से अन्यून होंगे, किसी व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, लोक कार्यस्थल/लोकोपयोगी स्थलों से निष्काषित कर सकता है ।

12. इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के विचारार्थ तथा अपराधों के संज्ञान के लिए सक्षम न्यायालय ।

(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई न्यायालय कार्यपालक दण्डाधिकारी को छोड़कर इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए संज्ञान और विचारण नहीं कर सकेगा ।

(ख) कोई भी न्यायालय धाराओं-5, 6 एवं 7 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी के लिखित शिकायत पर धारा-7 एवं 8 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए आरक्षी पदाधिकारी, जो अवर निरीक्षक से अन्यून होंगे, के लिखित शिकायत पर ही इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान ले सकेगा ।

13. कुछ अपराधों का संज्ञेय एवं जमानती होना

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी धारा-7 एवं 8 के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होंगे ।

14. इस अधिनियम के सभी अपराधों का संक्षिप्त विचारणीय होना

इस अधिनियम के सभी अपराधों का संक्षिप्त विचारण उसी तरह होगा, जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण के लिए उपबंधित है ।

15. **प्रत्यायोजित करने की शक्ति**--सरकार, सरकारी अधिसूचना द्वारा यह निर्देशित कर सकती है, कि इस अधिनियम के अंतर्गत उसके द्वारा प्रयोग की जानेवाली शक्ति किसी उस अधिकारी द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसा कि उसमें उल्लिखित हो, बशर्ते यह ऐसी शर्तों, यदि कोई हो, के अधीन होगा, जैसा कि उसमें वर्णित हो ।

16. **अपराधों का शमन**--राज्य सरकार या इसके द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश से प्राधिकृत कोई व्यक्ति कार्यवाही शुरू होने के पहले या बाद में इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन दण्डनीय किन्हीं अपराधों का शमन कर सकते हैं ।

अधिसूचना

4 मार्च, 2003.

पत्रांक-एल०जी०-12/2002-07/लेज०--झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथा-पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2003 को अनुमत झारखण्ड धूम्रपान निषेध एवं धूम्रपान रहितों की स्वास्थ्य सुरक्षा अधिनियम, 2002 [झारखण्ड अधिनियम, 03, 2003] का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा:-

THE JHARKHAND PROHIBITION OF SMOKING AND NON-SMOKERS HEALTH PROTECTION ACT, 2002 [JHARKHAND ACT, 03, 2003]

AN ACT

To provide for prohibiting of smoking in places of public work or use and in public service vehicles in the State of Jharkhand and to make provision for other matters connected therewith.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Jharkhand in the fifty third year of the Republic of India, as follows:-

1. **Short title, extent and commencement**

- (i) This Act may be called the Jharkhand Prohibition of Smoking and Non-Smokers Health Protection Act, 2002.
- (ii) It extends to the whole of the State of Jharkhand.
- (iii) It shall come into force on such date as the Government may, by Notification in the Official Gazette, appoint;

Provide that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. Definitions

In this Act, unless the context otherwise requires:-

- (a) 'advertisement' means and includes any notice, circular, wall paper, pamphlet, display on hoardings or any visible representation made by means of any light, sound, smoke, gas or any other means which has the effect of promoting smoking and the expression 'advertise' shall be construed accordingly;
- (b) 'authorized officer' means a person authorized under section 4;
- (c) "State" means the State of Jharkhand.
- (d) 'Government' means the Government of Jharkhand.
- (e) "place of public work or use" means a place declared as such under section-3 and includes auditoria, hospital, buildings, health institutions, amusement centres, public offices, court buildings, educational institutions, libraries, but does not include any open place;
- (f) "public service vehicle" means a vehicle as defined under clause (35) of section-2 of Motor Vehicle Act, 1988, and
- (g) 'smoking' means smoking of tobacco in any form whether in the form of cigarette, cigar, beedies or otherwise with the aid of a pipe, wrapper or any other instruments.

3. Declaration of non-smoking places of public work or use.

As soon as may be after the commencement of this Act and thereafter from time to time, the Government may, by notification in the Official Gazette, declare any place of public work or use in the State to be a non-smoking place for the purpose of this Act.

4. Power of Government to authorize officers to act under this Act.

- (i) The Government may, by notification in the official Gazette, authorize one or more persons who shall be competent to act under this Act.
- (ii) Every person authorized under sub-section (1) shall be deemed to be a "public servant" within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

5. Prohibition of smoking in places of public work or use.

No person shall smoke in any place of public work or use.

6. Prohibition of smoking public vehicles.

Without prejudice to the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988, no person shall smoke in a public service vehicle.

7. Prohibition on advertisement of cigarettes etc.

Notwithstanding anything contained, in any other law for the time being in force, no person shall advertise in any place and or any public service vehicle which may promote smoking, or the sale of cigarettes, beedies etc.

8. Prohibition of sale and distribution or storage for sale of cigarettes, etc. in the place of public work or use

No person shall, himself or by any person on his behalf, sell or distribute or store for sale of cigarettes or beedies or any other smoking substance within the place of public work or use.

9. Display and exhibition or board.

The owner or manager or in-charge of affairs of every place of public work or use shall display and exhibit a board at a conspicuous place or places in and outside the premises visited or used by general public prominently stating that the place is a "No Smoking Zone" and that "Smoking is an offences"

10. Penalties.

Any person, who contravenes the provisions of--

- (i) sections, 5, 6 or 9 shall be punishable with fine which may extend to one hundred rupees and in case of second or subsequent offences, shall be punishable with a minimum fine of two hundred rupees, but which may extend to five hundred rupees;
- (ii) Sections 7 or 8 shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees and in case of second or subsequent offences, shall be punishable with imprisonment which may extend to three months or with a minimum fine of five hundred rupees, but which may extend to one thousand rupees or with both.

11. Election of violators of this Act from the place of public work or use.

Any authorized officer, or any Executive Magistrate or any police officers, not below the rank of sub-Inspector, may eject any person from the place or public work or use who contravenes the provision of this Act.

12. Court competent to try offences under this Act and take cognizance of offences.

(i) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Criminal Procedure Code, 1973 no court other than the court of a Executive Magistrate shall take cognizance of any offence under this Act.

(ii) No court shall take cognizance of any offence this Act except on a complaint in writing or an authorized officer with respect to offences under sections 5, 6 and 9 and on a report in writing of a police officer, not below the rank or Sub-Inspector, with respect to the offences under sections 7 & 8.

13. Certain offences to be cognizable and bailable.

Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 offences under section 7 & 8 shall be cognizable and bailable.

14. All offences under the Act to be tried summarily.

All offences under this Act shall be tried summarily in the manner provided for summary trial under the Code of Criminal Procedure, 1973

15. Power to delegates.

The Government may, by notification in the Official Gazette, direct that any power exercisable by it under this Act, may also be exercised by such officer as may be mentioned therein, subject to such conditions, if any, as may be specified therein.

16. Composition of offences.

The Government or any person authorized by it by general or special order in this behalf, may either before or after the institution of the proceeding, compound any offences made punishable by or under this Act.

By order of the Governor of Jharkhand,
Prashant Kumar,
Secretary cum-legal Remembrancer,
Law (Legislative) Department.
Jharkhand, Ranchi.
